न्यायालयः विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन आई एक्ट प्रकरण संख्या 02, भीलवाड़ा

''नोटिस''

माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र कमांक 26/पी.आई./2020 दिनांक 19.09.2020 द्वारा नोवल कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु दिशा–निर्देशानुसार अत्यावश्यक प्रकृति के मामले यथा जमानत प्रार्थना पत्र, रिमाण्ड मामले, व्यादेश/स्थगन प्रार्थना पत्र, धारा 164 सीआरपीसी कथन, मृत्युकालीन कथन आदि ही सुनवाई के प्रकरण ही सुनवाई किये जाएंगे। अन्य मामले जो अत्यावश्यक प्रकृति के नहीं हैं उनको स्थगित कर कॉमन डेट दी जाकर न्यायक्षेत्र की वेबसाइट पर प्रकाशित कर यथासंभव सीआईएस अद्यतन करना है।

अत्यावश्यक प्रकृति के मामले भी वीडियो कांफ्रेंसिग जैसे वॉट्सएप/स्काइप एप या वॉइस कॉल या अन्य उपयुक्त संचार साधन के माध्यम से सुनवाई हेतु लिए जाएंगे। किसी भी मामले में पक्षकारान/अभिभाषकगण की व्यक्तिशः उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

अतः मान. उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 05.10.2020 से दिनांक 16.10.2020 तक सुनवाई हेतु नियत न्यायिक अभिरक्षा में नियत पत्रावलियों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में निम्न तालिका के अनुसार आगामी कॉमन डेट नियत की जाती है :–

पेशी दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा में नियत पत्रावलियों के अतिरिक्त अन्य समस्त पत्रावलियों में आगामी दिनांक
05.10.2020	14.12.2020
06.10.2020	15.12.2020
07.10.2020	16.12.2020
08.10.2020	17.12.2020
09.10.2020	18.12.2020
12.10.2020	19.12.2020
13.10.2020	21.12.2020
14.10.2020	22.12.2020
15.10.2020	23.12.2020
16.10.2020	24.12.2020

आज्ञा से

विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एन.आई. एक्ट प्रकरण,
संख्या 02, भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner